भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 9
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
सोमवार, 31 आषाढ़, 1946 (शक)

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

***9. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी: श्री पुट्टा महेश कुमार:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत कौशल बढ़ाने और/अथवा पुन: कौशल विकास के प्रयोजनार्थ देश भर के युवाओं को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए कोई अनुसंधान/अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसे पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने वाले केन्द्रों के लिए आबंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा विशेष रूप से एलुरु जिले सहित जिला-वार क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत उपलब्ध कौशल वर्धन/पुन: कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के बारे में नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से कोई जागरूकता अभियान चलाया है/संवर्धनात्मक कार्यकलाप किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>पीएमकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत युवाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंध में श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा दिनांक 22.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *9 के भाग (क) और (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>

(क) जी हां। युवाओं को कौशलोन्नयन अथवा पुनर्कौशलीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु आवश्यक अनुसंधान/अध्ययन/सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए एक मजबूत हितधारक परामर्श और नियामक ढांचा स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति (2015) के अंतर्गत अधिदेशित क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) नियमित परामर्श और अध्ययनों के माध्यम से कौशल अंतराल की पहचान करने के लिए उद्योगों के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) व्यापक कौशल आकलन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय और वैश्विक श्रम बाजारों दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अध्ययन करवाता है।

इन परामर्शों और अध्ययनों के आधार पर, उच्च-मांग वाली जॉब रोलों के लिए दक्षता मानक और अर्हताएं विकसित की जाती हैं। इन अर्हताओं को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त उद्योगों के साथ परामर्श के माध्यम से वैध किया जाता है। वैध अर्हताओं को तब राष्ट्रीय अर्हता पंजी (एनक्यूआर) में जोड़ा जाता है और राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ़) के साथ संरेखित किया जाता है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अर्हता पंजी (एनक्यूआर) से लिए जाते हैं तथा इन्हें उद्योग जगत के परामर्श और कौशल अंतर सर्वेक्षणों के आधार पर विकसित किया गया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, जिला कौशल समितियों (डीएससी) द्वारा जिला कौशल विकास योजनाएं (डीएसडीपी) विकसित की गई हैं, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के साथ पीएमकेवीवाई पाठ्यक्रमों के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर कौशल अंतराल, उद्योग मांग का मैपिंग आदि का आकलन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, स्कीम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रभाव मूल्यांकन भी किया गया था।

(ख) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2024 तक, आंध्र प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में कौशलोन्नयन अथवा पुनर्कौशलीकरण के लिए कुल 1,13,884 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) स्कीम के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान कौशलोन्नयन अथवा पुनर्कौशलीकरण के लिए नामांकित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, जिलों को प्रत्यक्ष रूप से निधि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। आंध्र प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान कौशलोन्नयन अथवा पुनर्कौशलीकरण प्रशिक्षण के लिए निधि के जिले-वार उपयोग का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) जी हां, एमएसडीई ने टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और डिजिटल प्लेटफार्मों पर व्यापक मल्टीमीडिया अभियानों; स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मीडिया के साथ आवधिक मीडिया ब्रीफिंग; सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सक्रिय भागीदारी; और सामुदायिक सहभागिता पहल के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत उपलब्ध कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण पाठ्यक्रमों के बारे में नागरिकों को सूचित करने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान और प्रचार कार्यकलाप शुरू किए हैं। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), दूरदर्शन, माईगव और अन्य सरकारी और निजी समाचार एजेंसियों के माध्यम से नियमित प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की गई हैं। सूचना प्रसारित करने और इस स्कीम में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के हमारे व्यापक नेटवर्क के माध्यम से भी जागरूकता पैदा की गई है। एमएसडीई की डिजिटल पहल - 'स्किल इंडिया डिजिटल हब' (एसआईडीएच) का उपयोग करके, नागरिक पीएमकेवीवाई पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं और निकटतम केंद्रों का पता लगा सकते हैं जहां स्कीम चल रही है।

अनुबंध I

दिनांक 22.07.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *9 के भाग (ख) के उत्तर के संदर्भ में

पीएमकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान कौशल उन्नयन और/या पुनर्कौशलीकरण के लिए नामांकित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	56	-	605	-	500
2	आंध्र प्रदेश	1,03,347	1,029	5,212	-	4,296
3	अरुणाचल प्रदेश	18,118	20,374	3,800	-	552
4	असम	2,85,787	1,97,082	3,580	52	31,220
5	बिहार	1,51,008	23,762	4,726	-	9,281
6	चंडीगढ़	4,772	426	140	-	
7	छत्तीसगढ	41,018	100	431	-	2,527
8	दिल्ली	1,48,321	2,109	9,443	-	6,829
9	गोवा	4,116	150	336	-	228
10	गुजरात	1,24,900	4,716	17,266	-	21,670
11	हरियाणा	1,48,950	1,069	11,233	-	19,572
12	हिमाचल प्रदेश	24,598	1,187	3,724	-	2,504
13	जम्मू और कश्मीर	1,25,813	563	6,636	-	32,216
14	झारखंड	1,08,985	219	3,422	-	4,637
15	कर्नाटक	1,40,451	1,750	14,742	32	10,730
16	केरल	74,039	413	5,049	-	1,288
17	लद्दाख	93	-			164
18	लक्षद्वीप	1,91,501	5,777	8,365	-	33,855
19	मध्य प्रदेश	6,30,125	2,141	20,685	245	16,980
20	महाराष्ट्र	17,481	14,688	1,576	-	1,559
21	मणिपुर	4,897	911	2,222	-	2,335
22	मेघालय	1,037	1,995	1,928	41	2,344
23	मिजोरम	10,617	2,470	3,939	-	2,970
24	नगालैंड	2,44,726	4,013	5,060	-	12,333
25	ओडिशा	2,774	620	695	-	363
26	पुदुचेरी	52,278	6,117	6,950	-	12,482
27	पंजाब	4,30,347	13,234	9,101	17	24,947
28	राजस्थान	848	248	31	-	
29	सिक्किम	1,86,746	610	16,169	225	16,698
30	तमिलनाडु	83,033	2,373	4,497	34	4,703
31	तेलंगाना	2,484	-	2		
32	दादरा और नगर हवेली& दमन और दीव	55,041	17,380	2,383	37	6,910
33	त्रिपुरा	6,18,397	22,310	19,649	-	63,670
34	उत्तर प्रदेश	38,315	823	3,635	-	9,382
35	उत्तराखंड	1,46,056	1,908	4,916	-	10,872
36	पश्चिम बंगाल	56	-	605	-	500
योग		**42,21,075**	**3,52,567**	**2,02,148**	**683**	**3,70,617**

अनुबंध II

दिनांक 22.07.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *9 के भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में

आंध्र प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान कौशल उन्नयन और/या पुनर्कौशलीकरण प्रशिक्षण के लिए उपयोग की गई निधियों का जिले-वार ब्योरा

(राशि कराड़ रुपए में)

क्र.सं.	जिला	वित्तीय वर्ष 19-20 (सीएससीएम घटक के अंतर्गत)	वित्त वर्ष 20-21 (सीएससीएम घटक के अंतर्गत)	वित्त वर्ष 21-22 (सीएससीएम घटक के अंतर्गत)	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 23-24
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	-	-	-	-	-
2	अनकापल्ली	-	-	-	-	0.04
3	अनंतपुर	0.65	0.62	0.11	0.07	0.03
4	अन्नमय्या	-	-	-	-	-
5	बापतला	-	-	-	-	-
6	चित्तूर	0.35	0.51	0.16	0.07	0.01
7	पूर्वी गोदावरी	1.22	1.11	0.25	0.12	0.08
8	**एलुरु**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9	गुंटूर	0.52	0.29	0.06	0.02	0.06
10	काकीनाडा	-	-	-	-	-
11	कोनासीमा	-	-	-	-	-
12	कृष्णा	0.45	0.40	0.07	0.03	0.20
13	कुरनूल	0.30	0.62	0.11	0.03	0.01
14	नांदयाल	-	-	-	-	-
15	एनटीआर	-	-	-	-	-
16	पालनाडू	-	-	-	-	0.01
17	पार्वतीपुरम मान्यम	-	-	-	-	-
18	प्रकाशम	0.78	0.33	0.07	0.01	0.02
19	एसपीएसआर नेल्लोर	0.37	0.24	0.07	0.02	0.03
20	श्री सत्य साई	-	-	-	-	-
21	श्रीकाकुलम	0.55	0.33	0.06	0.04	0.02
22	तिरुपति	-	-	-	-	0.01
23	विशाखापत्तनम	0.83	0.54	0.06	0.02	0.16
24	विजयनगरम	0.64	0.11	0.02	0.01	0.02
25	पश्चिम गोदावरी	0.49	0.87	0.15	0.01	0.05
26	वाईएसआर	0.49	0.24	0.04	0.05	0.06
योग		7.62	6.21	1.24	0.48	0.81

*****